


फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणका वर्ष 2013



30
6.0

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2013-14

1 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम सुरेश चन्द्र गोयल 2 वर्तमान धारित पद सहायक मंत्री 3 कार्यालय का नाम टी एल एम प्रथम/द्वितीय/अति उच्च संधारण संभाग, ग्वालियर/पिछोर / बीना 4 वर्तमान धर्म 5 भविष्य निधि क्रमांक 21762108 कर्मचारी संख्या 90483387

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि के स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधि०/कर्म० से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
जिला जालंधर मरीमाला बाला मार्ग 86 रेडायल मिडिल के पास जालंधर	1200 वर्ग फुट	—	15,00,000	श्रीमती सुमन गोयल	मिडिल विक्री फूम श्री सुकुल लुवे की पुरारी लाल जालंधर जालंधर 16.10.92	निरंक	—

12/12

हस्ताक्षर
नाम सुरेश चन्द्र गोयल
पदनाम सहायक मंत्री

- जहाँ लागू न हो काट दीजिये
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये
- ठसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी - मंडल द्वारा ग्राह्य मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लम्बित के नाम से पट्टे बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देये